अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयेतर समय में अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करना।

संख्या : 9036 जी/रा०वि०प०-एक-125ए/1978 दिनांक जनवरी 25, 1979

उपर्युक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश है कि यद्यपि कार्यालयेतर समय में अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान करने के लिये परिषद न तो बाध्य है और न ही अधिकारी तथा कर्मचारीगण उक्त अनुमति प्राप्त करना अपना अधिकार समझ सकते हैं तथापि समुचित विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह निर्णय किया है कि परिषदीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अधोवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन कार्यालयेतर अध्ययनार्थ तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाय:—

(क) उपर्युक्त अनुमति किसी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल एक शिक्षा सत्र में उनकी संख्या के दस प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) अनुमति केवल उसी दशा में प्रदान की जायेगी जबकि प्रश्नगत अनुमति/अध्ययन से परिषद के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा अधिकारी/कर्मचारी की कार्य क्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न वह अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा ही करे।

(ग) यदि अनुमति प्रदान करने के उपरान्त ऐसा भासित हो कि जिस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त अनुमति प्रदान की गई है उसके कार्य में शिथिलता आ गई या कार्य सम्पादन में ह्रास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना परिषद के हित में नहीं है तो प्रदान की गई अनुमति को परिषद किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर देंगे।

(घ) अराजपत्रित कर्मचारियों को उक्त अनुमति प्रदान करने हेतु केवल "कार्यालय-प्रमुख"/"विभागाध्यक्ष" ही सक्षम अधिकारी होंगे। राजपत्रित अधिकारियों के लिये परिषद की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ड) विषय में अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व सक्षम अधिकारी सम्बन्धित शिक्षा संस्थान से यह सुनिश्चित करके स्वतः को सन्तुष्ट कर लेंगे कि प्रश्नगत कक्षायें कार्यालयेतर अवधि के उपरान्त ही होंगी।

(च) उपर्युक्त अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मात्र इस आधार पर अपने अवकाश/तैनाती अथवा स्थानान्तरण सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं हो जायेगा।

(छ) उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिये अधिकारी/

कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः परिषदीय एवं लोकहित को दृष्टिगत करते हुए ही अनुमन्य होगा।

(ज) किसी बहुवर्षीय पाठ्यक्रम/अध्ययन के लिये प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(झ) उन्नत, उच्चस्तरीय अथवा विशिष्ठ अध्ययन एवं तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में भी उपरिवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमति प्रदान की जायेगी।

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी अवगत कराना है कि भविष्य में कार्यालयेत्तर अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी आदेशों की एक प्रति सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा अपने नियन्त्रक अधिकारी को अवश्यमेव अग्रसारित की जाये जिससे नियन्त्रक अधिकारी सम्बन्धित नियमों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके। ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

अधिकारियों एवं अधिकारियों को कार्यालयेतर समय में अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान किया जाना।

संख्या 2122-जी/रा० वि० प०-का-1-125ए/1978 दिनांक अगस्त 18, 1982

उपर्युक्त विषयक परिषदीय पत्रांक 9036-जी/रा० वि० प०-एक-125ए/1978, दिनांक 25 जनवरी, 1979 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का अनुदेश है कि उसमें निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभव की गई है अतः इनके निवारणार्थ यह निर्णय लिया गया है कि।

(अ) सक्षम अधिकारी से सम्यक अनुमति प्राप्त किये बिना यदि कोई परिषदीय सेवक अध्ययनार्थ किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश लेता है तो उसके विरुद्ध यथापेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(ब) परिषदीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ ऐसे मामलों में सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं से अनुरोध किया जायेगा कि वे प्रश्नगत परिषदीय सेवक का प्रवेश निरस्त कर दें क्योंकि उसने परिषद के नियमानुसार अध्ययनार्थ अनुमति नही प्राप्त की है और उसके कथित अध्ययन का परिषदीय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,

(स) किसी भी परिषदीय सेवक को अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान करते समय यह सुस्पष्ट कर दिया जाये कि अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान किये जाने का आशय यह नहीं है कि यदि वह प्रश्नगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो परिषद उस सेवक को सेवा में उसका लाभ देने के लिये बाध्य होंगे।

2—कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत

करा दें ताकि वे अपने स्तर से किसी को अनुमति प्रदान करते समय इन नियमों को भलीभांति क्रियान्वित करें और परिषद के समक्ष किसी प्रकार की विषम स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत आदि के लिये स्वीकृत अग्रिम पर ब्याज की दर का निर्धारण।

संख्या: 1908-जी ए/रा० वि० प०-बारह/86-7 (23) जीए/85 दिनांक मई 31, 1986

गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत आदि के लिये परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत किये जाने के परिषदादेश संख्या 1046-जीए/रा० वि० प०-बारह/86-7 (23) जीए/85 दिनांक मार्च 24, 1986* के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन की अनुरूपता में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत के लिये वर्ष 1985-86 में स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम पर ब्याज की दर निम्नवत होगी :—

1. प्रथम 25,000 रु० के लिये	10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
2. अगले 25,000 रु० अर्थात 25001 से 50,000 रु० के लिये	12.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
3. अगले 25,000 रु० अर्थात 50,001 से 75,000 रु० के लिये	14.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
4. अगली शेष राशि अर्थात 75,001 से अधिक की राशि पर।	15.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

किन्तु नियत समय पर अग्रिम/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3·5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

2—मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर तथा बाइसकिल अग्रिमों पर देय ब्याज की दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

L—Other Infringe Benefits

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा।

संख्या: 1128-डब्लू०बी०/रा०वि०प०(औ०सं०-18)/81-23(20) एच०आर०/80 दिनांक: अप्रैल 23, 1981

विगत कुछ समय से परिषद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से

* वर्ष 1985-86 के लिये उक्त आशय की अग्रिम राशि स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप यह आदेश प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं।

टिप्पणियाँ—(1) जब किसी उच्च अधिकारी के आदेशानुसार दीर्घावकाश का केवल कोई अंश ही छोड़ा जाता है तो उस मामले में नियम 145 के प्राविधान लागू होंगे।

(2) यदि किसी कर्मचारी को उच्च प्राधिकारी के आदेशानुसार दीर्घावकाश को या उसके किसी अंश को छोड़ना पड़ता है तो दीर्घावकाश समाप्त होने के तुरन्त पश्चात महालेखाकार के निम्न प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र भेजना चाहिये। राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिस पर सहायक नियम 15 ✓-के अन्तर्गत दिया हुआ अपवाद लागू होता है, प्रमाण-पत्र को दीर्घावकाश के समाप्त होने के बाद नहीं बल्कि जब वह अवकाश के लिये आवेदन-पत्र दे तो उसी के साथ महालेखाकार को भेजना चाहिये। राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रमाण-पत्र स्वयं उसी के द्वारा ही उस उच्च प्राधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजना चाहिये, जिसके आदेशानुसार दीर्घावकाश को पूर्ण रूप से या उसके कुछ अंश को छोड़ना पड़ा है अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रमाण-पत्र को उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके उसके अवकाश लेखे को साथ लगा देना चाहिये तथा उस आशय को एक प्रविष्टि उसकी सेवा पुस्तिका में भी कर देनी चाहिये।

मैं प्रमाणित करता हूँ मुझे..............................(विद्यालय, महाविद्यालय आदि) के 19.........वर्ष के दीर्घावकाश की अवधि में ड्यूटी पर..............................(उच्च प्राधिकारी का नाम के आदेशानुसार, जो पत्र संख्या..............................दिनांक..............................द्वारा दिया गया, रोक लिया गया था।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
पदनाम

प्रतिहस्ताक्षरित
उच्च प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम..............................।

(3) उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अपने स्थानान्तरण के कारण दीर्घावकाश की पूरी अवधि का उपभोग करने से वंचित रहा हो मूल नियम 82 (ख) के प्रयोजन के लिए दीर्घावकाश के उपभोग किये गये अंश में वह समय घटाया जायेगा जो उसने वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में बिताया हो न कि वह पूरा कार्यभार ग्रहण काल जो नियमों के अन्तर्गत उसे अनुमन्य हो। □

अध्याय 11-क

अध्ययन अवकाश नियम

उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 84 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये नियम

टिप्पणी—इस अध्याय के नियम केवल उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो राज्यपाल के नियमकारी के अधीन हैं। ये भारत सचिव के अधिकारियों पर लागू नहीं होते, जिन पर इस खण्ड के भाग 1 के मूल नियम 84 के नीचे उद्धरित अध्ययन अवकाश नियम लागू होते हैं।

146-क. निम्नलिखित नियम राज्यपाल द्वारा सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्राविधिक या समान समस्याओं के अध्ययन के लिये या प्रशिक्षण के विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये बनाये गये हैं। ये नियम केवल अध्ययन अवकाश से सम्बन्धित हैं। उन सरकारी कर्मचारियों का मामला इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता जिन्हें शासन द्वारा अन्य देशों में या तो उनको सौंपी गई विशेष ड्यूटी को करने के लिये या उनकी तकनीकी ड्यूटी से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के अनुसन्धान के लिए भेजा गया हो, ऐसे मामले उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 50 तथा 51 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने गुणागुण के अनुसार निपटाये जाते रहेंगे। ये नियम जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अन्वेषण विभागों, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभागों पर लागू होते हैं (केवल महाद्वीप के दौरे को छोड़कर, जिसके लिये विशेष नियम लागू होते हैं)। शासन द्वारा इन नियमों को किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी लागू कर सकती है जो उपर्युक्त किसी भी विभाग का न हो और जिसके मामले में उनकी यह राय हो वे यह

समझते हों कि अध्ययन के किसी विशेष पाठ्य-क्रम को पूरा करने के लिये अथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकार की अन्वेषण के लिये जनहित में अवकाश स्वीकृत करना चाहिये।

टिप्पणी—इन नियमों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के ऊपर लागू कर देने से उन वर्तमान नियमों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनके अनुसार सरकारी कर्मचारी को जब वे इंग्लैंड में अवकाश पर हों वहाँ के इन्जीनियरिंग के निर्माण कार्यों को देखने की अनुमति दे दी जाती है।

1—इन नियमों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रतिनिधायन शासन द्वारा ऐसी शर्तों के साथ उच्चाधिकारी को किया जा सकता है जो वे लगाना उचित समझें।

2—अध्ययन अवकाश के प्रयोजन के लिये अर्द्ध-औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश, भारत में अथवा भारत के बाहर लिया जा सकता है। शासन द्वारा यह ऊपर लिखित किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी जो किसी एक विभाग के संवर्ग में स्थायी हो और किसी अन्य विभाग में स्थायी रूप से कार्य कर रहा हो, अवकाश निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुये स्वीकृत किया जा सकता है—

(क) उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्य को करते रहने के लिये स्थानीय प्रबन्ध किया जा सकता है, तथा

(ख) अवकाश स्वीकृत करने के पहले जिस विभाग में वह स्थायी हो उसके संस्तुति प्राप्त कर ली गई हो।

अध्ययन अवकाश साधारणतया उन सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं करना चाहिये जिन्होंने पाँच वर्ष से कम की सेवा कर रखी हो और न उन सरकारी कर्मचारियों को जिनको सेवा से निवृत्ति होने के लिए विकल्प देने को तीन साल रह गये हों।

3—अध्ययन जनसेवा की आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुये ही सही किया जायेगा। इस अवकाश की स्वीकृति असाधारण अवकाश पर या चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश को मिलाकर किसी भी दशा में ऐसी नहीं होनी चाहिये कि या तो सरकारी कर्मचारी की अपनी नियमित ड्यूटी से अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक हो या सरकारी कर्मचारी की सेवा की पूर्ण अवधि में यह 2 साल से अधिक बढ़ जाये। न तो वह इतनी जल्दी-जल्दी स्वीकृत करना चाहिये जिससे उसका अपने नियमित कार्य से सम्पर्क हट जाये या उसकी अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण संवर्ग में कुछ कठिनाइयाँ पड़ें। एक बार में 12 महीने की अवधि साधारणतया उचित अधिकतम माना जायेगा और केवल असाधारण कारणों को छोड़कर इससे अधिक नहीं होना चाहिये।

नियम 3 से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश

इस नियम में निर्धारित सरकारी कर्मचारी की नियत ड्यूटी से अनुपस्थिति को 28 महीने की सीमा में यदि कोई दीर्घावकाश लिया गया है तो उसकी अवधि भी सम्मिलित है, जिसके साथ अध्ययन अवकाश या अन्य अवकाश मिलाया जा सकता है।

4—सरकारी कर्मचारी जिसका अध्ययन अवकाश किसी अन्य अवकाश से मिलाया जाता है, उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय में लेना चाहिये जिससे कि उसके समाप्त होने पर उसके पास पहले से स्वीकृत दूसरे अवकाश की इतनी अवधि बच रहे जो उसके ड्यूटी पर लौटने में जो समय लगे उसके लिये पर्याप्त हो।

5—जब किसी सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत किया गया हो, परन्तु बाद में उसे यह प्रतीत होता है कि उसके अध्ययन के पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये अवकाश की अवधि के बहुत पहले ही समाप्त हो जायेगा तो उसकी ड्यूटी से अनुपस्थिति को उस अवधि के बराबर अध्ययन अवकाश कम कर दिया जायेगा, जब तक कि शासन उसे उस अवधि के लिये साधारण अवकाश लेने की अनुमति नहीं दे देता।

6—केवल उन मामलों को छोड़कर जिनका प्रावधान नियम 7 में किया गया है, अध्ययन अवकाश के लिये सब प्रार्थना-पत्र महालेखाकार के प्रमाण-पत्र के साथ विभागाध्यक्ष को निर्धारित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत

किये जायेंगे तथा जिस पाठ्यक्रमों के अध्ययन को पूरा करना हो और जिस परीक्षा में अभ्यर्थी को बैठना हो उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यदि अध्ययन का पाठ्यक्रम योरोप या अमेरिका में पूरा करना हो तो विभागाध्यक्ष को उच्चायुक्त के सामान्य विभाग के सचिव के पास अध्ययन के स्वीकृत कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि के साथ अग्रसारित करना चाहिये। यदि सरकारी कर्मचारी के लिये अपने मूल प्रार्थना-पत्र में उक्त पूर्ण विवरण देना सम्भव न हो या यदि भारत छोड़ने के पश्चात् उसे उस कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़े, जो भारत में अनुमोदित किया गया है तो यथाशीघ्र भारत के उच्चायुक्त के सचिव सामान्य विभाग को विवरण भेजे जाने चाहिये। ऐसे मामलों में उसे जब तक कि उस पाठ्यक्रम की स्वीकृति उच्चायुक्त द्वारा प्राप्त न हो जावे तब तक उसे उस अध्ययन के पाठ्यक्रम को न तो आरम्भ करना चाहिये और न उससे संबन्धित कोई व्यय करना चाहिये, जब तक कि वह अपनी ही जिम्मेदारी पर ऐसा करने के लिये तैयार न हो।

7—सरकारी कर्मचारी जो योरोप या अमेरिका में अवकाश पर हो और वे अपने अवकाश के किसी अंश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना चाहते हों, उन्हें अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व तथा उससे संबन्धित व्यय करने के पूर्व अपने अध्ययन के प्रस्तावित कार्यक्रम को भारत के उच्चायुक्त के सामान्य विभाग के सचिव के पास प्रस्तुत करना चाहिये। कार्यक्रम के साथ उस पाठ्यक्रम का सरकारी स्लेबस भी भेजना चाहिये, यदि कोई उपलब्ध हो तथा उसके साथ इस बात का लेख्य साक्ष्य भी होनी चाहिये कि उस कार्यक्रम विशेष को अथवा परीक्षा को शासन ने स्वीकृत कर लिया है। ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में यदि उच्चायुक्त स्वीकृत दे दें तो कार्यक्रम को आरम्भ कर देना चाहिये परन्तु जब तक कि शासन की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती हो तब तक कोई अवकाश भत्ता देय नहीं होगा। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी जो यूनाइटेड किंगडम में अवकाश पर हो और जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत अध्ययन के लिये बढ़ाना चाहते हों उन्हें उसके लिये भारत के उच्चायुक्त को लिखना चाहिये तथा प्रस्तावित अध्ययन के विवरण भेजने के अतिरिक्त उन्हें अपने प्रार्थना-पत्र के साथ इस बात का लेख्य साक्ष्य भी होना चाहिये कि उन्होंने अवकाश को बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र देने की शासन से अनुमति प्राप्त कर ली है। उन्हें इस बात का भी लेख्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये कि शासन ने उन्हें अध्ययन अवकाश या अध्ययन भत्ता लेने की सहमति प्रदान कर दी है।

8—अध्ययन के किसी ऐसे पाठ्यक्रम को अध्ययन भत्ता अथवा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिये या अन्य किसी ऐसे प्रयोजन के लिये मान्यता-प्राप्त नहीं समझा जायेगा जब तक कि उपर्युक्त नियम 6 तथा 7 के अनुसार कम से कम उसकी मोटी रूप रेखा को शासन ने स्वीकृत नहीं कर दिया हो और अन्य मामलों में जिनमें पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत करना सम्भव न हो, उनमें उच्चायुक्त ने जब तक विस्तृत विवरणों सहित उसको आरम्भ करने के पूर्व स्वीकृत न कर दिया हो।

9—अध्ययन भत्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्था में किसी निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करने में व्यतीत की गई अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा अथवा किसी विशेष प्रकार के निर्माण कार्य के निरीक्षण के निश्चित टूरों के लिये तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के अन्त में परीक्षा में व्यतीत हुई अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा। इस समय जो दरें निर्धारित है वे कि इंग्लैंड में 16 शिलिंग प्रतिदिन योरोप महाद्वीप में 1 पौंड प्रतिदिन तथा अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 शिलिंग प्रति दिन। ये दरें पुनरीक्षित की जा सकती हैं। सरकारी कर्मचारी जो अन्य देशों में जिसमें भारत सम्मिलित है, अध्ययन अवकाश लेते हैं, उनके लिये जो दरें स्वीकृत होंगी उस पर शासन द्वारा प्रत्येक मामले में विशेष रूप से विचार किया जायेगा। किसी भी दशा में अध्ययन भत्ता के अतिरिक्त निर्वाह भत्ता नहीं दिया जायेगा और साधारणतया यात्रा व्यय नहीं दिये जायेंगे, किन्तु असाधारण मामलों में शासन द्वारा इस प्रकार के दावों पर उनके गुणागुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

10—दीर्घावकाश की किसी अवधि के लिये अध्ययन भत्ता 14 दिन तक के लिये देय होगा। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी ही सुविधा के लिये पाठ्यक्रम को क्रम भंग कर देता है तो उसे दीर्घावकाश नहीं माना जायेगा। शासन के विवेक पर अध्ययन भत्ता एक बार में 14 दिन की अवधि तक का दिया जा सकता है, यदि सरकारी कर्मचारी अस्वस्थता के कारण जो कि डाक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिये अपने अध्ययन के स्वीकृत पाठ्यक्रम को जारी रखने में असमर्थ हो जाता है। उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अध्ययन अवकाश के पश्चात् बिना ड्यूटी पर वापस आये सेवा से निवृत्त होने वाला हो, अध्ययन भत्ता जब्त कर दिया

जायेगा तथा अध्ययन अवकाश को साधारण अवकाश में उस सीमा तक परिवर्तित कर दिया जायेगा जितना साधारण अवकाश उसको सेवा निवृत्त की तिथि को देय होगा। उपर्युक्त अध्ययन अवकाश का जो शेष बचेगा, जिसे इस प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसे उसकी पेंशन के लिये गिनी जाने वाली सेवा से घटा दिया जायेगा।

11—सरकारी कर्मचारी जिन्हें अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया हो उन्हें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिये जो शुल्क देना पड़े उसे साधारणतया स्वयं ही वहन करना चाहिये। असाधारण मामलों में शासन इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये तैयार होगा कि ऐसे शुल्क द्वारा शासन ही दिया जाये।

12—जब अध्ययन अवकाश योरोप या अमेरिका में ली गई हो तो अध्ययन के पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर उचित प्रपत्र पर (जो कि उच्चायुक्त से प्राप्त किया जा सकता है) उसका एक प्रमाण-पत्र तथा जिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुये हों या जो विशेष अध्ययन किया हो उनका प्रमाण-पत्र उच्चायुक्त को प्रेषित करना चाहिये। जब अध्ययन अवकाश किसी अन्य देश में लिया गया हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने या विशेष अध्ययन के प्रमाण-पत्र शासन को अग्रसारित किये जायें। इनमें पाठ्यक्रम के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथियाँ तथा शिक्षक द्वारा यदि कोई अभ्युक्ति दी गई हो तो उसे प्रकट किये गये हों, दिखाया जाना चाहिये। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में या निश्चित अध्ययन के पाठ्यक्रम के मामले में अध्ययन भत्ते का उच्चायुक्त द्वारा या भारत में, जैसा भी मामला हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत दावों के अनुसार जो कि उपस्थिति के उचित प्रमाण-पत्रों पर आधारित होंगे, भुगतान किया जायेगा। जब नियम 6 के अन्तर्गत स्वीकृत अध्ययन के पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से इस प्रकार के अध्ययन का पाठ्यक्रम सम्मिलित न हो तो सरकारी कर्मचारी को उच्चायुक्त को या शासन को, जैसी भी स्थिति हो, सरकारी कर्मचारी एक डायरी प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दिखाया जाना चाहिये कि उसका समय किसे व्यतीत हुआ तथा उसे एक रिपोर्ट भी देना चाहिये जिसमें अध्ययन किये गये तरीकों तथा कार्य विधियों के प्रकार का पूर्ण विवरण होना चाहिये तथा सुझाव भी होना चाहिये कि उन तरीकों या कार्यविधियों को भारत में लागू करने की क्या सम्भावना है। शासन तब निर्णय करेगी कि डायरी तथा रिपोर्ट से क्या यह प्रकट होता है कि सरकारी कर्मचारी का समय उचित प्रकार से व्यतीत हुआ तथा तदानुसार यह निश्चय करेंगे कि नियम 9 में उल्लिखित अध्ययन भत्ता किस अवधि के लिये स्वीकृत किया जाए।

13—अध्ययन अवकाश की अवधि पदोन्नति तथा पेंशन के लिये तो सेवा मानी जायेगी, परन्तु अवकाश के लिये नहीं। सरकारी कर्मचारी को जो अवकाश पहले से देय था उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसको अर्द्ध-औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश गिना जायेगा तथा उसे उत्तर प्रदेश मूल नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिये गये अर्द्ध-औसत वेतन की सम्पूर्ण राशि की अधिकतम अनुमन्य सीमा निकालने के लिये हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

टिप्पणी—1 जनवरी 1936 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में अध्ययन अवकाश को उत्तर प्रदेश मूल नियम के नियम 87-क के उप वाक्य (2) के प्राविधानों के अनुसार परिगणित किये हुये अर्द्ध-औसत वेतन पर लिये गये अतिरिक्त अवकाश के रूप में गिना जायेगा।

14—अध्ययन अवकाश की अवधि में सरकारी कर्मचारी अर्द्ध-औसत वेतन पायेगा, जिसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 9 (2) में दी गई है। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह उक्त नियमों के नियम 89 तथा 90 में निर्धारित अधिकतम तथा निम्नतम में सीमित रहेगा। अवकाश के लिए निर्धारित परिवर्तन की दरें (औसत वेतन पर अवकाश की अवधि के पहले चार महीने के लिये देय दरों के अतिरिक्त) अध्ययन अवकाश भत्तों के लिये भी लागू होंगी। सरकारी कर्मचारी उचित अधिकारी की स्वीकृति लेकर, जैसा कि नियम 6 या 7 के अनुसार आवश्यक है, औसत वेतन के अवकाश के समय अध्ययन के पाठ्यक्रम को आरम्भ कर सकता है तथा नियम 9 और 10 को ध्यान में रखकर उसके लिये अध्ययन भत्ता ले सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा की अवधि में अध्ययन अवकाश कुल मिलाकर 2 वर्ष से अधिक नहीं लेना चाहिये।

टिप्पणी—1 जनवरी, 1936 या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारी के मामले में, इस पैरा में दूसरी बार प्रयुक्त शब्द ''औसत वेतन पर अवकाश'' के अर्थ लगाना चाहिये ''उपार्जित अवकाश'' और शब्द ''औसत वेतन पर अवकाश की अवधि के पहले चार महीने'' जिनको कि इस पैरा में कोष्ठ में दिखाया गया है के अर्थ लगाना चाहिये ''उपार्जित अवकाश जो 120 दिन से अधिक न हो''।

नियम 14 से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश

दीर्घावकाश विभाग का सरकारी कर्मचारी यदि उस अवधि में अपना अध्ययन करता है तो वह दीर्घावकाश के समय दैनिक भत्ता ले सकता है। ऐसे दीर्घावकाश की अवधि के दो वर्ष की अधिकतम अवधि जिसके लिये अध्ययन अवकाश अनुमन्य होता है, के हिसाब लगाने के लिये जोड़ा जायेगा।

15—जब शासन यूरोप या अमेरिका में अध्ययन के लिये दिये गये आवेदन-पत्र को स्वीकृत करता है तब उसे उस मामले के विवरणों की सूचना उच्चायुक्त को देनी चाहिये। सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उच्चायुक्त से अपना संपर्क स्थापित करे जो कि अन्य बातों का प्रबन्ध करेगा तथा उसके लिये अपेक्षित परिचय पत्र निर्गत करेगा। उन सब मामलों में जिनमें अध्ययन अवकाश किसी अन्य देश में स्वीकृत होता है उसके विवरणों की सूचना भारत सरकार को दी जानी चाहिये।

उपर्युक्त नियमों से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

(1) राज्य स्वास्थ्य सेवा के सदस्य अपनी सेवा में कुल एक वर्ष तक के साधारण अध्ययन अवकाश ले सकता है तथा उसके अतिरिक्त तीन महीने तक का और अध्ययन अवकाश ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये मिल सकता है, जिसमें उसको उपस्थिति की छूट इसलिये हो ताकि वह अन्य स्थान में अपना व्यावसायिक अध्ययन कर सके।

(2) ऊपर उद्धृत नियमों के नियम 3 में निर्धारित अधिकतम का ध्यान न रखते हुये भी अध्ययन अवकाश के साथ असाधारण अवकाश लिया जा सकता है।

(3) भारत के उच्चायुक्त को अध्ययन अवकाश के अन्तर्गत सुविधाओं को स्वीकृत करने के उन सरकारी कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र पर जो अध्ययन अवकाश पर हों विचार करने के लिये अपने विवेक को प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। (उदाहरणार्थ नियम 9 तथा 11 के अन्तर्गत यात्रा व्यय तथा शुल्क के लिये)। उच्चायुक्त आवेदन-पत्रों पर आसानी से विचार करने के लिये, नियम 15 के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अथवा उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो भारत के बाहर अवकाश पर हो और जो अपने अवकाश के किसी अंश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित कर सकता हो, नियम 7 में उल्लिखित लेखा रास्ते में इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि क्या भारत सरकार यात्रा व्यय अथवा ट्यूशन शुल्क वहन करने को तैयार है, यदि उच्चायुक्त उनको स्वीकृत करना उचित समझे।

(4) उपर्युक्त नियमों के नियम 6 तथा 15 के सन्दर्भ में सरकारी कर्मचारी जिसको अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया हो, अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के पूर्व, अध्ययन के कार्यक्रम को उच्चायुक्त को प्रस्तुत करना चाहिये, चाहे अध्ययन अवकाश भारत में स्वीकृत किया गया हो अथवा अवकाश के लिए इंग्लैंड में आवेदन पत्र दिया गया हो।

(5) इंग्लैंड में अध्ययन अवकाश पर सरकारी कर्मचारी जो अध्ययन की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये उच्चायुक्त की सहायता चाहता हो उसे बिना शासन द्वारा अधिकृत किये, उच्चायुक्त को प्रार्थना-पत्र नहीं देना चाहिए।

(6) ऊपर उद्धृत नियमों के नियम 9 के सन्दर्भ में निम्नलिखित भत्ते की दरें उन सरकारी कर्मचारियों के लिये नियत की गई हैं जिन्हें भारत में अध्ययन अवकाश लेने की अनुमति दी गई है।

कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को छोड़कर 3 रुपये प्रतिदिन तथा इन तीन स्थानों के लिये 5 रुपये प्रतिदिन की विशेष दर।

(7) उपर्युक्त नियमों के नियम 9, 11 तथा 12 के सन्दर्भ में शासन ने भारत के उच्चायुक्त को निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का प्रतिनिधान कर दिया है :—

(1) उन सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले अध्ययन भत्तों की दरें निर्धारित करना जो यूरोप व अमेरिका के संयुक्त राज्य के अतिरिक्त अन्य स्थानों में अध्ययन अवकाश लेते हैं।

(2) असाधारण मामलों में अध्ययन भत्ते के अतिरिक्त निर्वाह भत्ता तथा यात्रा व्यय स्वीकृत करना।

(3) असाधारण मामलों में अध्ययन भत्ते के अतिरिक्त अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए दिये गये शुल्क स्वीकृत करना।

(4) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो यूरोप या अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों में अध्ययन अवकाश लेते हैं, यह निर्णय करना कि सरकारी कर्मचारी की डायरी तथा रिपोर्ट से क्या यह पता लगता है कि उसने अपना समय उचित रूप से व्यतीत किया है और तदनुसार यह निश्चय करना कि किस अवधि के लिए भत्ता स्वीकृत किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त मद (1) व (3) में प्रतिनिधान निम्नलिखित शर्तों के साथ किये गये हैं :—

(1) उन मामलों में जिनमें कोई कठिनाई या सन्देह है उन्हें शासन के पास आदेश के लिए भेजा जायेगा; तथा

(2) यह निर्णय लेने के लिये सुविधायें स्वीकृत की जायें या नहीं जिन सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार पहले से परिपाटी चली आ रही है उनका पालन किया जाना चाहिये और अगर पूर्व स्वीकृत नीति से अपवाद करना हो तो मामले को शासन के आदेश के लिये भेजा जायेगा।

8—उपरोक्त नियमों के नियम 10 के सन्दर्भ में शासन उच्चायुक्त को यह अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है कि उस सरकारी कर्मचारी को किसी एक समय, 14 दिन की अवधि तक अध्ययन भत्ता स्वीकृत कर दें, जो ऐसी बीमारी के कारण अध्ययन के स्वीकृत पाठ्यक्रम को पूरा करने में असमर्थ हो, जिसके लिये किसी डाक्टर का समुचित प्रमाण-पत्र होना चाहिये।

9—जब सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश के लिये आवेदन-पत्र देता है तो उसे अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने चाहिये :—

(क) उन व्ययों का एक अनुमान जो वह समझता है कि उसे करने पड़ेंगे;

(ख) उन व्ययों को पूरा करने के लिये वह जो वित्तीय प्रबन्ध करेगा उसका विवरण; तथा

(ग) इस आशय का एक हस्ताक्षरित अनुबन्ध-पत्र कि वह ड्यूटी पर लौटने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष तक शासन की सेवा करेगा तथा यदि इस अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन होने पर वह शासन को उस व्यय का भुगतान कर देगा जो उन्होंने वास्तव में उसके अध्ययन अवकाश पर किया है। अध्ययन अवकाश के आवेदन-पत्र पर विचार करते समय शासन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि क्या फलस्वरूप जो व्यय होंगे उनको वह वहन करने की स्थिति में होगा।

शासन ने जो अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया है उनके विवरण की सूची उच्चायुक्त को भेजते समय उपर्युक्त पूछ-ताछ के निष्कर्षों की भी सूचना भेजेंगे और इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी ने वित्तीय सहायता का प्रश्न उठाया है, चाहे इस रूप में कि उसके शुल्क का भुगतान राज्य के राजस्व से किया जाये अथवा किसी अन्य रूप में।